

Name of the Publication HARI BHOMI

Date 26/05/2025 Page 11 Column 01

Subject मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं पर किया जागरण

मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं पर किया जागरण

ग्रामीणों को मौलिक अधिकारों की दी जातकारी

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरणका शिबिर का आयोजन

दृश्यानुभूति तस्मात् प्रवेष्टवक



रोहताक। गांव गढ़ी बोहर में विधिक जागरणका शिबिर में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्र-छात्रा और शिक्षक। फोटो: हरिभूमि

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के विधि सहायता क्लब द्वारा गांव गढ़ी बोहर में एक विधिक जागरणका शिबिर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) एचएल वर्मा के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी पहलुओं के प्रति

जागरण करना रहा। विधि संकाय के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रो. (डॉ.) एचएल वर्मा एवं रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार ने विधिक सहायता क्लब

द्वारा किए गए प्रयासों को सराहना करते हुए भविष्य में और अधिक गांवों तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के साथ-साथ जन-

विधि संकाय के डीन, डॉ. मनीष कुलाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही समाज के बेचिंत वर्गों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं। इस अवसर पर डॉ. राजरानी, डॉ. अमर, डॉ. राहुल, डॉ. सोनिया, डॉ. विनोती, आकाशदीप आदि मौजूद रहे।

जागरणका कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दे रहा है। शिबिर के संचालन में डॉ. प्रमिला और डॉ. हरविंदर, सहायक प्रोफेसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार निहित हैं, वे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये अधिकार

न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं और यह राज्य के मनमानी के विरुद्ध नागरिकों के रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, डॉ. सीमा देवी, भत्या, शुभम और वैसे प्रतिभागियों ने भी ग्रामीणों व सरल भाषा में कानून की धाराओं अधिकारों और विधिक प्रक्रिया अवगत करवाया। उन्होंने महिलाओं बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए बन गए विशेष कार्य प्रवधानों पर प्रकाश डाला।